कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज. जयपुर।

क्रमांक – स–9(1) आ.अप./कॉपी राईट/2015/489-542 दिनांकः– 30/4/2015

पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस,
राजस्थान।
समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज. मय
जीआरपी अजमेर/जोधपुर।

विषय– कॉपीराईट एक्ट 1957 की पालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि कॉपी राईट्स के उल्लंघन के संबंध में पूर्व में भी समय–समय पर आदेश प्रसारित किये गये हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान में पायेरेटेड या अवैध रूप से कॉपी की गई सीडी/डीवीडी/यूएसबी डिवाईसेज तथा फिल्मों के प्रिन्ट्स द्वारा चल चित्रों का अवैध प्रदर्शन, क्रय–विक्रय किया जा रहा है।

सी.डी./डी.वी.डी. का पायेरेटेड एवं अवैध रूप से तैयार करना अथवा प्राप्त करना, उनका उपयोग करना तथा बिना अनुज्ञा फिल्मों का प्रसारण, प्रदर्शन करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर के आदेश क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2004/1002–48 दिनांक 12.2.2004, उप महानिरीक्षक पुलिस क्रमांक स–3 (19) पु.अ./डी एण्ड एम.आर.सैल/99/287–335 दिनांक 1.7.1999 की छायाप्रतियां संलग्न कर इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त एक्ट की पालना सख्ती से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस.एन.खींची)
उप महानिरीक्षक पुलिस
सी.आई.डी. (सीबी), राज., जयपुर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप महानिरीक्षक पुलिस, (कार्मिक), राज., जयपुर के पत्रांक व–15(3)पुलिस/गोपनीय/2013/1034 दि. 20.4.15 के क्रम में।

उप महानिरीक्षक पुलिस
सी.आई.डी. (सीबी), राज., जयपुर।

O/C 30/4/15